राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ 15 (3) (177) सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2022/80279 **जयपुर, दिनांकः** 21/03/23

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023–24 के बिन्दु संख्या 86 की अनुपालना में पालनहार योजनान्तर्गत अनाथ श्रेणी को छोडकर अन्य श्रेणियों के बच्चों हेतु प्रतिमाह दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि कर निम्नानुसार किये जाने की एतद् द्वारा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र.सं.	आयु वर्ग	वर्तमान में दी जा रही सहायता राशि	राशि में वृद्धि के बाद दी जाने वाली सहायता राशि
1	0 से 6 आयु वर्ग	500 रूपये प्रतिमाह प्रति बच्चा	750 रूपये प्रतिमाह प्रति बच्चा
2	6–18 आयु वर्ग	1000 रूपये प्रतिमाह प्रति बच्चा	1500 रूपये प्रतिमाह प्रति बच्चा

उक्त स्वीकृति दिनांक 01.07.2023 से लागू होगी। यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 162300431 दिनांक 08.03.2023 के अनुसरण में प्रसारित किये जा रहे हैं। अन्य शर्ते पूर्ववत रहेगी।

(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 15 (3) (177) सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2022/80280-93 **जयपुर, दिनांक :** 21/03/23
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, ...।
9. समस्त जिला कलेक्टर, ...।
10. वित्तीय सलाहकार, सान्याअवि, मुख्यावास।
11. समस्त जिला कोषालय/उप कोषालय, ...।
12. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), सान्याअवि, मुख्यावास को पालनहार पोर्टल पर उक्त प्रावधान उपलब्ध करवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
13. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि, ...।
14. समस्त ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ...।
15. आदेश पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation: Director
Date: 2023.03.20 17:45:24 IST
Reason: Approved

निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No. : 3430538

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ 15 (3) (168) सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2022/12023 जयपुर, दिनांक : 03/03/22

<u>प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश</u>

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022–23 की संख्या 64 की अनुपालना में पालनहार योजनान्तर्गत अनाथ बच्चों हेतु 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रूपये प्रतिमाह से बढाकर एक हजार 500 रूपये तथा 6–18 आयु वर्ग तक के बच्चों हेतु राशि एक हजार रूपये से बढाकर दो हजार 500 रूपये प्रतिमाह किये जाने की एतद् द्वारा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृति दिनांक 01.04.2022 से लागू होगी।

उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 15 (3) (168) सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2022/12024-12434 जयपुर, दिनांक : 03/03/2022
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, समस्त संभागीय आयुक्त, ...।
9. समस्त जिला कलेक्टर, ...।
10. वित्तीय सलाहकार, सान्याअवि, मुख्यावास।
11. समस्त जिला कोषालय/उप कोषालय..।

12. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), सान्याअवि, मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि, ...।
14. समस्त ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि, ...।
15. आदेश पत्रावली।

3/3/XXII

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन,राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर
ई–मेल : raj.palanhar@rajasthan.gov.in, फोन : 0141–2226604 हैल्पलाइन डेस्क – 1800–180–6127